



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN:- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

E-mail:- hr@ptcul.org

दूरभाष नं० 0135-2645249 फ़ैक्स नं० 0135-2645249 वेबसाइट www.ptcul.org

पत्रांक/073/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-3

दिनांक : 09.07.2025

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक मण्डल की दिनांक 21.06.2025 को सम्पन्न 101वीं बैठक में प्रस्ताव संख्या 101.20 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में कारपोरेशन के आदेश संख्या 1455/मा०सं०एवंप्र०अनु०/पिटकुल/पी-3 दिनांक 27.08.2013 के द्वारा कारपोरेशन के पात्र/अर्ह कर्मिकों को देय "स्थानीय बर्हिगमन व्यय प्रतिपूर्ति" (Reimbursement of Local Travelling Expeness) एवं कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या 1740/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/पी-3 दिनांक 26.10.2016 के द्वारा परिचालकीय संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी (परिचालकीय वर्ग एवं लिपिकीय संवर्ग) के कर्मचारियों को देय मोपेड/मोटरसाईकिल/स्कूटर भत्ता की दरों को पूर्वविहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्वारा निम्नवत् संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	पात्र अधिकारी/कर्मचारी संवर्ग	देहरादून मुख्यालय पर अनुमन्य दर प्रतिमाह	अन्य इकाई/कार्यालय पर अनुमन्य दर प्रतिमाह
1	अधिकासी अभियन्ता एवं उसके समकक्ष अन्य अधिकारी तथा उससे उच्च अधिकारी जिनकी अपनी मोटर कार है तथा विभागीय वाहन आवंटित नहीं है एवं जो कारपोरेशन कार्यहित में अपने निजी वाहन से स्थानीय यात्रायें करते हैं।	रु० 3600/-	रु० 2700/-
2	निजी स्कूटर/मोटर साईकिल/मोपेड आदि रखने वाले अधिकारी तथा विभागीय वाहन आवंटित नहीं है एवं जो कारपोरेशन कार्यहित में अपने निजी वाहन से यात्रायें करते हैं।	रु० 2250/-	रु० 1725/-
3	अवर अभियन्ता (परिचालन एवं अनुरक्षण कार्य)/राजस्व वसूली/परीक्षण एवं पाली ड्यूटी में तैनात अवर अभियन्ता को छोड़कर) एवं जो कारपोरेशन कार्यहित में अपने निजी वाहन से स्थानीय यात्रायें करते हैं।	रु० 1200/-	रु० 900/-
4	कारपोरेट मुख्यालय एवं निगम के अन्य कार्यालयों में तैनात तृतीय श्रेणी के कर्मचारी जिनके निजी स्कूटर/मोटर साईकिल एवं मोपेड हैं एवं जो कारपोरेशन कार्यहित में अपने निजी वाहन से स्थानीय यात्रायें करते हैं।	रु० 1200/-	रु० 900/-
5	कारपोरेशन के परिचालकीय वर्ग एवं लिपिकीय संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जिनको साईकिल भत्ते के स्थान पर मोपेड/मोटरसाईकिल/स्कूटर भत्ता अनुमन्य किया जा रहा है।	रु० 525/-	रु० 525/-

उक्त आदेश दिनांक 01.07.2025 से प्रभावी होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

क्रमशः.....2/-

पत्रांक: 1073/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/ पी-3 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी-सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल-देहरादून को-प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, निदेशक (मा0सं0)/(परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल, देहरादून।
4. कम्पनी सचिव, पिटकुल, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, देहरादून।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता/समकक्ष अधिकारी, पिटकुल, देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता, सूचना प्रौद्योगिकी, पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को पिटकुल की वेबसाईट में अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)